

ई-निविदा सूचना सं. 01/2017-18


राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्माण विभागों में सक्षम श्रेणी में नियमानुसार (समय-समय पर संशोधित) प्रभावी आदेशों के तहत पंजीकृत ठेकेदारों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से संबंधित विवरण वेब साईट <http://dipr.rajasthan.gov.in> व <http://eproc.rajasthan.gov.in> व www.cad.raj.gov.in पर देखी जा सकती है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमानित लाग (राशि रू लाख में)	धरोहर राशि कार्य का नाम		ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया शुल्क	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
			2%	0.5%			
1	2	3	4	5	6	7	8
पक्के खाले की निर्माण कार्य विभागीय डिजाइन एवं स्पेशिफिकेसन के अनुसार (समस्त सामग्री सीमेंट सहित ठेकेदार की होगी)							
1	Chak 60 NP	34.20	68400	17100	500	1000	5 MONTHS
2	Chak 10 NP	38.09	76180	19045	500	1000	5 MONTHS
3	Chak 20 NP	35.78	71560	17890	500	1000	5 MONTHS
4	Chak 41 GG	48.67	97340	24335	500	1000	5 MONTHS
5	Chak 8 NP-B	29.90	59800	14950	500	1000	5 MONTHS
6	Chak 63 NP	55.29	110580	27645	1000	1000	5 MONTHS

- निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करायें। यह निविदा वेबसाईट <http://www.deproline.org> तथा विभागीय वेबसाईट <http://www.cad.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।
- निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 19.05.2017 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 22.06.2017 सांय 6.00 बजे तक होगी।
- (अ) निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फारमेट वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 19.05.2017 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 22.06.2017 सांय 6.00 बजे तक जमा /अपलॉड कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त तकनीकी निविदाएं इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 23.06.2017 को प्रातः 12.00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।
(ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।
(स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएं नहीं खोली जा सकती हैं तो इसके अगले कार्यदिवस शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
(द) उपरोक्त सारणी के कॉलम 4 में दर्शायी गई धरोहर राशि अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में भुगतान योग्य बैंक चैक/डीडी संलग्न करनी है।
- कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।
- कार्यों से संबंधित निविदा प्रपत्र को किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 19.05.2017 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 22.06.2017 सांय 6.00 बजे तक देखा जा सकता है।
- निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क/धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में दिनांक 23.06.2017 को सुबह 11.00 बजे तक जमा करवाना आवश्यक है।

7. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नि) कार्य से संबन्धित वृत्त अथवा खण्ड में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
8. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवा लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
9. निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में इस कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करवाना आवश्यक है।
10. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित हैं।
11. आर.पी.डब्ल्यू ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होंगी।
12. संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिए निर्धारित मशीनरी एवं साज समान जो निविदा की स्पेशल कन्डीशन में वर्णित हैं को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
13. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलित है।
14. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात एक पूरी वर्षा की समाप्ति या कार्य पूर्ण करने की अवधि के तिथि के 6 मास पश्चात तक जो भी पश्चातवर्ती हो तक रहेगा।
15. निविदा खोलने की दिनांक से निविदा स्वीकृत हेतु मान्य अवधि तक यदि निविदादाता अपनी निविदा में कोई संशोधन करता है अथवा निविदा वापिस लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
16. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ-1 एफ.डी/जीएफएण्डएआर/2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार रू. 1000/- रुपये की राशि अतिरिक्त प्रक्रिया शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में देय होंगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।
17. ई-टेंडरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश
 - (अ) इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं।
 - (ब) निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टीफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट-2000 के तहत प्राप्त करना होगा। जो इलैक्ट्रॉनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टीफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टीफिकेट है, नया डिजिटल सर्टीफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - (स) निविदादाताओं का निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं होगा।
 - (द) ऑनलाइन निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम सं. 3 के अनुसार खोली जायेगी।
 - (य) इलैक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लें कि निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गई है।
 - (र) कोई भी टैण्डर इलैक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेवार विभाग नहीं होगा।
 - (ल) टैण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन दर्ज करें।

- 22
18. संविदाकर्ता/ठेकेदार द्वारा भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियो एवं सेवा शर्ते विनि) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजियन करवाना होगा तथा श्रमिकों का उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय हित लाभ व सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जावेंगी। निर्माण कार्य की लागत का 1 प्रतिशत उपकर अधिनियम के अन्तर्गत काटा जायेगा।
 19. विभाग में उपलब्ध आरसीसी लीड एवं पैनल का उपयोग किया जाना है। विभाग से एनओसी प्राप्त कर ही भुगतान किया जाना है।
 20. निर्माण कार्यों में मसाला मिलाने के लिए मिक्सर का प्रयोग करना होगा।
 21. शर्तयुक्त निविदा मान्य नहीं होगी।



 अधिशाषी अभियन्ता
 सिंक्षेवि ओ.एफ.डी. खण्ड-1
 इंगानप, बीकानेर

क्रमांक:- 415-434

दिनांक:- 10-5-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:-

- 1 श्रीमान् मुख्य अभियन्ता, सिंक्षे.वि. इ.गा.न.प., बीकानेर।
- 2 श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सिंक्षे.वि. वृत्त,
- 3 श्रीमान् नोडल ऑफिसर (वेबसाईट) एवं अधि. अभि. व तकनिकी सहायक आयुक्त सिंक्षेवि, बीकानेर को मय सीडी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 4 अधिशाषी अभियन्ता खण्ड- ,सिंक्षे.वि.
- 5 सहायक अभियन्ता गंगनहर ओ.एफ.डी. उपखण्ड 20/21/22 सिंक्षे.वि. पदमपुर/ ओएफडी उपखण्ड-1 बीकानेर
- 6 कान्ट्रेक्टर एसोसिएशन, सा. नि. विभाग, कैम्पस, बीकानेर।
- 7 वरिष्ठ प्रारूपकार/खण्डीय लेखाकार/कैशियर, खण्डीय कार्यालय।
- 8 नोटिस बोर्ड।


 अधिशाषी अभियन्ता,
 ओएफडी खण्ड प्रथम,
 सिंक्षेवि, इंगानप, बीकानेर